प्रश्न सं. [क्र. 104]

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड जावरा जिला रतलाम

प्रकरण क्र. 09/बी 121/2012–13

विधान सभा अ० प्र० क्र० 104 की जानकारी परिशिष्ट – 1

बालाराम एवं अन्य ग्रामवासीगण
निवासी ग्राम आम्बा/कालुखेड़ा
तहसील पिपलौदा जिला रतलाम
.... आवेदकगण

// आदेश //
(दिनांक 24/06/2013)

ग्रामवासीगण आम्बा एवं कालुखेड़ा की ओर से, आवेदन–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वन्य प्राणी नीलगाय/हिरणों द्वारा फसल हानि होने पर किसानों द्वारा उनके शिकार की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदकों द्वारा यह आवेदन–पत्र म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/22/285/99/10–2 भोपाल दिनांक 21/09/2000 के संदर्भ में दिया गया है।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रतिलिपि तहसीलदार, पिपलौदा को भेजकर प्रतिवेदन चाहा गया।

तहसीलदार, पिपलौदा द्वारा अपना प्रतिवेदन पत्र क्र. क्यु/रीडर–1/13 पिपलौदा दिनांक 24/06/13 द्वारा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार, पिपलौदा ने अपने प्रतिवेदन के साथ राजस्व निरीक्षक वृत्त–01 कालुखेड़ा तथा वृत्त 02 पिपलौदा का प्रतिवेदन पटवारी ग्राम आम्बा तथा पटवारी कालुखेड़ा के पंचनामा प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया।

पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा तथा राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार नीलगाय एवं रोजड़ों द्वारा रात्रि में आकर फसलों का नुकसान किया जाता हैं तथा नुकसानी उपरांत ये तुरंत भाग जाते हैं, इस तथ्य की पुष्टि मौका पंचनामा ग्राम आम्बा एवं कालुखेड़ा से होती हैं। राजस्व निरीक्षक तथा पटवारीगण ने प्रतिवेदन दिया कि फसलों में नुकसान किस नीलगाय अथवा रोजड़े द्वारा किया गया हैं, इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में किसी एक वन्य प्राणी द्वारा नुकसान करने पर दूसरे वन्य प्राणी अथवा समस्त वन्य प्राणियों को मारने की अनुमति देना उचित नहीं हैं। यदि फसल में नुकसान होता हैं जांच कराई जाकर उचित मुआवजा देना प्रतिवेदित किया हैं। राजस्व निरीक्षक, पटवारी प्रतिवेदन से सहमत होते हुए तहसीलदार, पिपलौदा ने उक्त आधार पर नीलगाय तथा रोजड़े के शिकार की अनुमति देना उचित नहीं बताया है।

प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदकगण ने नीलगाय हिरणों को फसल हानि होने के कारण शिकार की अनुमति देने बावत निवेदन किया हैं। राज्य शासन के आदेश का अवलोकन किया। तहसीलदार प्रतिवेदन,

निरन्तर.....2 पर

पटवारी, राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन पंचनामे से स्पष्ट है कि नीलगाय तथा रोजड़े इत्यादि वन्य प्राणियों द्वारा रात्रि में आकर फसलों में नुकसान किया जाता है। जिनकी पहचान करना संभव नही है ऐसी स्थिति में किसी एक या कुछ वन्य प्राणियों नीलगाय/रोजड़े द्वारा किये गये नुकसान के लिये अन्य नीलगाय अथवा रोजड़ों को मारने की अनुमति दी जाना उचित नही है। हरिणों द्वारा नुकसान नही किया जा रहा है तथा जंगली सुअर इस क्षेत्र में नही पाये जाते है। कुछ वन्य प्राणियों के अपराध की सजा समस्त वन्य प्राणियों को नही दी जा सकती है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार भी किसी निरपराध को सजा दी जाना उचित नही है।

आवेदकगण के प्रस्तुत आवेदन में ऐसे जानवरों/वन्य प्राणियों को चिन्हित भी नही किया गया है अतः ऐसे व्हेग आवेदन के आधार पर किसी जीवधारी को मारने की अनुमति नही दी जा सकती है। अतः आवेदकण ग्राम कालुखेड़ा व आम्बा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10/10/2012 एवं अन्य आवेदन पत्र निरस्त किये जाते है। जहाँ तक नीलगाय अथवा रोजड़ो से फसल नुकसानी होने पर नुकसानी का आंकलन कराया जाकर आर्थिक सहायता आर.बी.सी. 6(4) के तहत प्रदान की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी
जावरा जिला रतलाम

पृ. कमांक 3011 /आर–1/13 जावरा दिनांक 24/06/13
प्रतिलिपि :–

तहसीलदार, पिपलौदा की ओर भेजकर लेख है कि वन्य प्राणियों से नुकसानी होने पर आर.बी.सी. 6(4) के तहत प्रभावितों को तुरंत आर्थिक सहायता देना सुनिश्चित करे।

29/2/16
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग शाखा-2

अनुविभागीय अधिकारी
जावरा जिला रतलाम